न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी— रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
08/2014 प्रा.पत्र/2014	11.09.2014	12.02.2026
जीसीएमएस नं0 74/2014		

मदनलाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण टोंक राज0।

............प्रार्थी

बनाम

1—श्री रेखराज साहू पुत्र श्री सत्यनारायण साहू एफ.बी.ओ. मैसर्स शिव शक्ति जनरल स्टोर वनस्थली विद्यापीठ परिसर वनस्थली निवाई जिला टोंक निवासी जैन मन्दिर के सामने वनस्थली तह. निवाई जिला टोंक।
2—मैसर्स शिव शक्ति जनरल स्टोर वनस्थली विद्यापीठ परिसर वनस्थली निवाई जिला टोंक।
3—श्री नरेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री पारस मल प्रोपराईटर मैसर्स जे.के. एजेन्सीज सब्जी मण्डी के पास निवाई जिला टोंक राज. निवासी कृष्णा कॉलोनी निवाई जिला टोंक राज.।
4—मैसर्स जे.के. एजेन्सीज सब्जी मण्डी के पास निवाई जिला टोंक राज.।
5—श्रीमति मंजु गोयल पुत्री श्री कैलाश चन्द अग्रवाल सोल प्रोपरायटर मैसर्स शम्बू दयाल एण्ड कम्पनी बी—64 ट्रांसपोर्ट आगरा रोड नगर जयपुर निवासी गुलाब बाग के पास बाडी धौलपुर राज.।
6—श्री रघुवंश कुमार चौहान पुत्र श्री प्रेम सिंह चौहान क्वालिटी ऑफिसर/नॉमिनी मैसर्स हल्दी राम स्नैक्स प्रा. लिमिटेड बी—1, सेक्टर 63 नोएडा उत्तरप्रदेश निवासी— म.नं. 550, आजाद विहार ब्लॉक—एफ, खोडा कॉलोनी गाजियाबाद उत्तरप्रदेश।
7—मैसर्स हल्दी राम स्नैक्स प्रा. लिमिटेड बी—1, सेक्टर 63 नोएडा उत्तरप्रदेश

........अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफ.एस.एस. एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—

1—पेरोकार सरकार।
2—अभिभाषक अप्रार्थी सं. 6 व 7 श्री रईस अहमद उप0।

:—निर्णय—: दिनांक 12.2.26

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 28.09.2013 को समय 05:09 पी.एम. पर मैसर्स शिव शक्ति जनरल स्टोर वनस्थली विद्यापीठ परिसर वनस्थली निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहॉ पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विकेता की हैसियत से श्री रेखराज साहू पुत्र श्री सत्यनारायण साहू अपने प्रतिष्ठान पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री रेखराज साहू पुत्र श्री सत्यनारायण साहू को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री रेखराज साहू पुत्र श्री सत्यनारायण साहू ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ./मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु प्रतिष्ठान में अन्य खाद्य पदार्थो के साथ–साथ **सोन पपडी (हल्दी राम मूल पैक) वनस्पति घी से निर्मित** के 500–500 ग्राम के 10 पैकेट रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री रेखराज साहू पुत्र श्री सत्यनारायण साहू को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री रेखराज साहू पुत्र श्री सत्यनारायण साहू व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **सोन पपडी (हल्दी राम मूल पैक) वनस्पति घी से निर्मित** वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 500–500 ग्राम पैक के 4 मूल पैकट खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **सोन पपडी (हल्दी राम मूल पैक) वनस्पति घी से निर्मित** 500–500 ग्राम पैक के 4 मूल पैकट के ज्यों का त्यों 1–1 नग के बराबर–बराबर नियमानुसार चार भाग तैयार कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–604 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–604 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री रेखराज साहू पुत्र श्री सत्यनारायण साहू एफ.बी.ओ. मैसर्स शिव शक्ति जनरल स्टोर वनस्थली विद्यापीठ परिसर वनस्थली निवाई जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स जे.के. एजेन्सीज सब्जी मण्डी के पास निवाई जिला टोंक राज. का खरीद बिल

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रस्तुत किया। आवेदक द्वारा मेसर्स जे.के. एजेन्सीज से सम्पर्क किए जाने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने बतौर वारन्टी मैसर्स शम्बू दयाल एण्ड कम्पनी बी–64 ट्रांसपोर्ट आगरा रोड नगर जयपुर का तथा मैसर्स शम्बू दयाल एण्ड कम्पनी ने बतौर वारन्टी मैसर्स हल्दी राम स्नैक्स प्रा. लिमिटेड बी–1, सेक्टर 63 नोएडा उत्तरप्रदेश का खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/13/3735 दिनांक 08.11.2013 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं.एल.एस./497/एफ.एस.एस.ए./2013/504 दिनांक 10.10.2013 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **सोन पपडी (हल्दी राम मूल पैक) वनस्पति घी से निर्मित** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** व **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ता 4 के अभिभाषक दिनांक 25.10.2024 के बाद से लगातार अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी सं. 5 बार–बार रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने के बावजूद भी अनुपस्थित रहे। अतः अप्रार्थी सं. 1 ता 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अभिभाषक अप्रार्थी सं. 6 व 7 (निर्माता फर्म) श्री रईस अहमद उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि निर्माता फर्म द्वारा निर्मित उत्पाद में कोई मिलावट नहीं की जाती है तथा यह उत्पाद मैसर्स हल्दी राम स्नैक्स प्रा. लिमिटेड द्वारा निर्मित नहीं है बल्कि स्थानीय स्तर पर इस नाम का नकली उत्पाद बनाकर विक्रय किया जा रहा है जिसका इस फर्म से कोई संबंध नहीं है। अतः अप्रार्थी सं. 6 व 7 को दोषमुक्त किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **सोन पपडी (हल्दी राम मूल पैक) वनस्पति घी से निर्मित** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** व **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त उत्पाद निर्माता फर्म मैसर्स हल्दी राम स्नैक्स प्रा. लिमिटेड द्वारा ही निर्मित उत्पाद है जो कि वारन्टी बिल के आधार पर क्रमशः अप्रार्थी सं. 5 को विक्रय किया गया था। अप्रार्थी सं. 5 द्वारा वारन्टी बिल के आधार पर अप्रार्थी सं. 3 को तथा अप्रार्थी सं. 3 द्वारा अप्रार्थी सं. 1 को उपलब्ध करवाया गया था। इस कथन की पुष्टि पत्रावली में संलग्न वारन्टी बिल के आधार पर होती है। इस प्रकार निर्माता फर्म द्वारा निर्मित उत्पाद के लेबल पर MADE WITH VEGETABLE GHEE अंकित हैं जो कि भ्रामक हैं एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के रेगुलेशन नं. 2.2.1(3) का उल्लंघन करता है। साथ ही **सोन पपडी (हल्दी राम मूल पैक) वनस्पति घी से निर्मित** का

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

melting point 24°0 प्राप्त होता हैं जो कि निर्धारित मानक परास 31°0-41°0 में नहीं हैं एवं अवमानक स्तर का प्राप्त होता हैं। यह खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 व 52 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावें।

हमने पेरोकार सरकार एवं अभिभाषक अप्रार्थी सं. 6 व 7 की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **सोन पपडी (हल्दी राम मूल पैक) वनस्पति घी से निर्मित** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** व **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। चूंकि अप्रार्थी सं. 1 ता 5 ने वारन्टी बिल के आधार पर उक्त खाद्य पदार्थ निर्माता फर्म से क्रय किया है। अतः अप्रार्थी सं. 1 ता 5 को दोषमुक्त किया जाता है तथा अप्रार्थी सं. 6 व 7 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 6 व 7 पर कुल शास्ति रूपये 3,00,000/- (अक्षरे तीन लाख रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/2/24 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज